न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

बईजलास डॉ. भँवर लाल, , आई.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 06/2016

अपीलार्थी	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट**
श्री प्रागाराम पुत्र श्री नाथाराम जाति कुम्हार निवासी वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही।		सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाडा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :

1. श्री नगेन्द्र कुमार मेडतिया अधिवक्ता अपीलांट।
2. नायब तहसीलदार सिरोही (पैरोकार सरकार)।

निर्णय

दिनांक : 13.04.2022

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत तहसीलदार, पिण्डवाडा द्वारा उनके मुकदमा संख्या 102/2015 में पारित आदेश दिनांक 16.06.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की जो दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलांट अधिवक्ता के निवेदन पर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर रेस्पोडेन्ट को सम्मन जारी किया गया ।

अभिलेख प्राप्त होने एवं सम्मन तामिल होने पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के लायक अधिवक्ता श्री नगेन्द्र मेडतिया द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया गया कि तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा ग्राम वीरवाडा पटवार हल्का वीरवाडा तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही के खसरा नम्बर 850, 851 रकबा 0.03 एवं 0.16 बीघा किस्म गै.मु.पत्थर पर अपीलार्थी का अवैध निर्माण मान कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया जो नोटिस अपीलांट को तामिल करवाया गया जिसे अपीलांट पर तामिल मानते हुए उसे अनुपस्थित बताकर निर्णय पारित कर दिया। अपीलांट को गैर हाजिर बताते हुए भौतिक रूप से बेदखल करने एवं रूपये 17,379/– का जुर्माना आरोपित करने के आदेश पारित किये गये, जो कानूनी रूप से उचित एवं विधिसम्मत नही है। यह भी कि ... अपीलांट की पुश्तैनी कब्जा भोगवटा की भूमि है, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ... अपीलांट के हक में नियमन की जानी चाहिए थी, जो नहीं की गई है ... सरकार द्वारा समय–समय पर पुराने कब्जे की भूमि को विधि अनुसार नियमन करने हेतु परिपत्र भी जारी किये परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किए बिना निर्णय पारित किया गया है। यह भी कि अधीनस्थ न्यायालय ने संपरिवर्तन शुल्क बतौर जुर्माना आरोपित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.04.20 16:29:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

है, जो सर्वथा गलत है। यह है कि लगान का अधिकतम 50 गुणा जुर्माना अधिरोपित किए जाने का विधि में प्रावधान है। यदि उक्त भूमि को विधि अनुसार संपरिवर्तित शुल्क जमा करवाने के आदेश पर बेदखली का आदेश कानूनन पारित नहीं हो सकता है, फिर भी गलत व विधि विरूद्ध आदेश पारित कर संपरिवर्तन शुल्क बतौर जुर्माना आरोपित किया गया है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करना फरमावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस में पेरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित भूमि पर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण कर कब्जा कर काश्त किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में किसी तरह की कोई कानूनी त्रुटि नही की गई है । अपीलान्ट को पेशी का नोटिस तामिल शुदा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है। अपीलान्ट आदतन अतिक्रमी है एवं विवादित भूमि राजकीय बेशकीमती भूमि है, जिस पर अपीलांट द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया हुआ है। राजकीय भूमि की रक्षा करना प्रशासन का प्रथम दायित्व बनता है। यदि राजकीय भूमि अतिक्रमित हो जायेगी तो पशुओं के चराई के ऊपर भारी संकट उत्पन्न हो सकता है, अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

मैनें दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भॉति अध्ययन एवं अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हुँ कि विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में गैर मुमकिन पत्थर दर्ज है। अपीलार्थी को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा संवत् 2072 खरीफ मे अतिक्रमण करने से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। विवादित भूमि रिक्त करने की अपेक्षा की गई थी उक्त नोटिस अपीलांट को तारीख पेशी से पूर्व तामिल कराया गया था। तामिल कुनिन्दा द्वारा तामिल नोटिस अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली [illegible] न्यायालय की आदेशिका में भी अपीलांट उपस्थित बताया गया है जिस [illegible] अपीलांट के स्वयं के हस्ताक्षर किए हुए है। अतः अपीलान्ट अधिवक्ता का यह कहना कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं [illegible] गया है, मानने योग्य प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि पटवारी हल्का वीरवाडा की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट द्वारा मौजा वीरवाडा पटवार हल्का वीरवाडा के

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.04.20 16:29:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

खसरा संख्या 850, 851 रकबा 0.03, 0.16 बीघा किस्म गैर मुमकिन पत्थर पर अपीलांट ने अवैध कब्जा काश्त कर अतिक्रमण कर रखा है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि उक्त विवादित भूमि पर अपीलांट द्वारा 100 वर्गमीटर तक की सीमा में बेशकीमती राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया जाना प्रतीत होता है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त विवादित भूमि से बेदखल करते हुए आवासीय संपरिवर्तन शुल्क की दर से जुर्माना की गणना कर रूपए 17,379/– बतौर जुर्माना के रूप में वसूल किए जाने के आदेश पारित किए है। यह है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत लगान की दर का 50 गुना जुर्माना आरोपित किए जाने का प्रावधान है, परन्तु इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवासीय संपरिवर्तन शुल्क की दर से जुर्माना वसूल किया है, जो राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का उल्लघंन किया जाना प्रतीत होता है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मुकदमा संख्या 102/2015 में पारित निर्णय दिनांक 16.06.2015 को निरस्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि मौके पर किए गए अतिक्रमण की जांच कर एवं अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 13.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.04.20 16:29:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner